ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, ग्वालियर

lwpuk ds vf/kdkj] vf/kfu;e 2005 dh /kkjk ¼4½-ds v/khu yksd izkf/kdkfj;ksa ds nkf;Roksa dk eSU;wvy

Xokfy;j O;kikj esyk izkf/kdj.k] jsl dkslZ jksM] Xokfy;j & 474002
Qksu ua-2365468] 4040276

izLrkouk

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम के पूर्व प्रचलित राज्य शासन के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आम नागरिकों को जानकारियां, जिनमें अभिलेखों के अवलोकन से लेकर प्रतिलिपियां भी उपबब्ध कराई जातीं थीं। नये

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान व्यापक हैं जिनमें समय–सीमा निर्धारित है, समय–सीमा के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन का आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है और वांछित सूचना से इन्कार करने पर अपीलों का भी प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 4 में लोक प्राधिकारी के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। जिसके तहत संगठन से संबंधित पूर्ण जानकारी का प्रकाषन करना शामिल है। यह मैन्युअल या पुस्तिका इसी का एक अंग है। जो समग्र रूप से संदर्भ के लिये एक मार्ग दर्षिका है। इसमें ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के द्वारा मेला के आयोजन से सम्बन्धित जानकारियों/गतिविधियों का यथा सम्भव समावेष किया गया है, मेला प्राधिकरण, अधिकारियों और कर्मचारियों का उल्लेख है, मेला की अधोसंरचना आदि का उल्लेख है।

lwpuk ds vf/kdkj ds vUrxZr tkudkjh

v/;k;&1

1ण1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावषील हो गया है।

1ण2 पुस्तिका का उद्धेष्य :

इस पुस्तिका का उद्धेष्य मेला आयोजन सम्बन्धी सामान्य जानकारियों और सूचनायें को आम जन को सुलभ कराना है।

1ण्3 पुस्तिका की उपयोगिता :

समग्र रूप से जन सामान्य के लिये यह एक मार्गदर्षिका है।

1ण्4 पुस्तिका का प्रारूप :

पुस्तिका का प्रारूप भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है एवं कृति देव 010 फोन्ट पर जन सामान्य के लिये सुलभ रहेगी।

1ण्5 पुस्तिका में उपयोग की गई शब्दावली की परिभाषायें :

देवनागिरि भाषा में परिभाषित हैं।

1.6 **पुस्तिका में समायोजन विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये सम्पर्क सूत्र :**

सचिव, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण।

1.7 **पुस्तिका में उपलब्ध जानकारियों के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क :**

शासन द्वारा विहित नियमों के अनुसार

अध्याय – 2 (मैन्युअल –1)

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्वेष्य :–

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण – ग्वालियर व्यापार मेला क्षेत्र में आयोजित होने वाला व्यापार, औद्यौगिक, कृषि, पषु मेला या कोई अन्य मेला।

2ण्2 लोक प्राधिकरण का मिषन/विजन –

ग्वालियर व्यपार मेला प्राधिकरण – देष में उद्योगों, व्यापार व व्यवसाय का विकास, विभिन्न उत्पादों की खपत, आधुनिकतम उत्पादों व सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिये कटिबद्ध है।

2ण्3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग –

ग्वालियर व आस–पास का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और कई उत्पादों के लिये जाना जाता था। यहां के उत्पादों की खपत के लिये मार्केटिंग के अवसर पर्याप्त नहीं थे। इसलिये यहां के उत्पादन के निर्यात के अवसरों में इजाफा करने के लिये तथा जानवरों की नस्ल सुधारने के लिये, उनके निर्यात करने के लिये भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के महाराजा, श्रीमंत माधौराव सिंधिया (प्रथम) ने मेला मवेषियान की स्थापना सर्व प्रथम सागर ताल स्थित मैदान में वर्ष 1905 में की थी क्योंकि सागर ताल में पानी की उपलब्धिता सुलभ थी। इसे अधिक उन्नत करने और स्थाई रूप देने की दृष्टि से वर्ष 1918 में इसकी नीव नगर के हृदय स्थल वर्तमान रेस कोर्स रोड पर डाली गई।

इसके संचालन के लिये ''कवायद मेला व नुमाइष ग्वालियर, 1934'' प्रारम्भतः अधिनियमित थी जो 15 अगस्त 1947 को राज्यों के विलीनीकरण के बाद नये अधिनियम के प्रभावषील होने तक, प्रभाव में रही। तब तक इस आयोजन की व्यवस्थाओं में विषेष परिवर्तन नहीं आया और राज्य कालीन व्यवस्थाओं के आधार पर ही त्रि–स्तरीय समितियों द्वारा यह आयोजन संचालित होता रहा था। ''ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम 1996'' राज्य शासन ने निर्मित कर दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 से प्रभावषील किया और मेला के बेहतर प्रबन्ध व नियंत्रण के लिये इस अधिनियम के अधीन ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन किया गया।

श्रीमंत माधवराव सिंधिया (द्वितीय) के दि0 30 सितम्बर 2001 को कैलाषवासी हो जाने पर उनकी स्मृति में शासन ने इसका नामकरण ''श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला'' किया।

यह वाषिक मेला वर्ष 1967–68 में हीरक जयंती, 1982–83 मे प्लेटीनम जयंती और वर्ष 2005 में शताब्दी समारोह मना चुका है। अगस्त 1984 में इसने राज्य स्तरीय व्यापार मेला का दर्जा हासिल कर लिया है। वर्तमान पषु पदर्षनी और किसान मेला भी इसका ही एक अभिन्न अंग है।

आयोजन प्रति वर्ष दिसम्बर–जनवरी में सम्पन्न होता है।

मेला की अधोसंरचना

104 एकड़ के विषाल भू–भाग पर इसकी स्थाई अधौसंरचना निर्मित है। वर्तमान में लगभग 1375 पक्की/स्थाई दुकानें,लगभग 200 चबुतरे, एवं खुली भूमि व्यापारियों के लिये उपलब्ध है। पानी, बिजली, शौचालयों की आवष्यक नागरिक सुविधा भी उपलब्ध हैं। मेला अवधि में चिकित्सीय, पोस्ट ऑफिस आदि की और सुविधायें उपलब्ध करादी जातीं हैं। इसके अलावा, मल्ल युद्ध के लिये अखाड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये कला रंगमंच, खुला रंगमंच, तीन विषाल उद्यान, विद्यमान हैं। इनमें एक उद्यान को ''राजमाता विजयाराजे सिंधिया उद्यान'' नाम दिया गया है। इसमें मेला के संस्थापक श्रीमंत माधवराव सिंधिया (प्रथम) की प्रतिमा स्थापित है। अन्य दो उद्यानों को मृगनयनी और सरदार भगतसिंह नाम दिये गये हैं। शताब्दी पार्क भी है जिसमें मेला अवधि में मीना मेला बाजार आयोजित किया जाता है।

दुकानों/खुले भू भाग को यथा सम्भव प्रमुखतः व्यवसायिक सेक्टरों में विभाजित किया गया है।

वर्ष 2000–2003 में प्रषासनिक भवन निर्मित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व स्टाफ के बैठने हेतु और प्राधिकरण के सदस्यों के लिये कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था है।

म0प्र0 एक्सपोर्ट फैसिलिटेषन सेन्टर –

व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादनों, प्रोजेक्ट्स, व सम्बद्धित समान सेवाओं के संवर्धन और विकास के हित में आयात–निर्यात हेतु म0प्र0 एक्सपोर्ट फेसिलिटेषन सेन्टर भी मेला परिसर में लगभग 24016 वर्ग फीट के क्षेत्र में लगभग रू0 साढ़े 4.21 करोड़ की लागत से निर्मित है। दिल्ली और चेन्नई के बाद देष में यह तीसरा सेन्टर है। दिसम्बर 2001 में भारत सरकार ने इसकी स्थापना की स्वीकृति दी थी और अनुदान के रूप में राषि रू0 1.75 करोड़ स्वीकृत किये थे। शेष राषि मेला प्राधिकरण ने वहन की है। इसके मुख्य प्रदर्षनी हॉल में 19000 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध है। छत की उूंचाई 6 मीटर है।

विषेष–

1. **एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एवं फैमिली रिक्रियेषन सेन्टर–** वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11–10/11/बी/2001 दिनांक 28–3–2002 के पालन में मेला परिसर की भूमि में से 15 एकड़ भू भाग एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एवं फैमिली रिक्रियेषन सेन्टर के संचालन हेतु 15 वर्ष के लिये, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास/प्रोत्साहन हेतु निर्धारित शर्तो व लीज रेंट पर श्री व्ही0पी0 गर्ग संचालक रीजेन्सी एग्रो प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ग्वालियर को अस्थाई पट्टे पर दे दी गई है। जहां यह कारोबार संचालित हो रहा है।
2. **''षिल्प बाजार''–** मेला परिसर में विकास आयुक्त (हस्तषिल्प), वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देष की विभिन्न हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1988–89 से ''षिल्प बाजार'' का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1992 के आस–पास, श्री अजय शंकर तत्कालीन विकास आयुक्त (हस्तषिल्प) भारत सरकार ने मेला के भू भाग पर लगभग 63 पक्की दुकानों का निर्माण कराया है जिन्हें भारत सरकार में पंजीकृत हस्तषिल्पियों को मेला अवधि में उन्हीं के स्थानीय निदेषक द्वारा आबंटित किया जाता हैं। इसे ''षिल्प बाजार'' के नाम से पुकारा जाता है।

2ण्4 ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के कर्तब्य :–

1. पषु प्रदर्षनी और किसान मेला एवं ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन प्रतिवर्ष,
2. उसके लिये व्यापारियों आदि के लिये दुकानों/मैदानों का किराया निर्धारित करना,
3- निर्धारित फीस/किराया भुगतान करने पर व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को व्यापार मेला की कालावधि के लिये मेला क्षेत्र में वृत्ति, व्यापार या आजीविका के लिये आबंटन. जारी करना।

4. अनाधिकृत अधिभोग कर्ता को हटाना और उस पर अनधिकृत उपभोग के लिये शास्ति अधिरोपित करना।
5- आवष्यक अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उन्हें वेतन भत्ते और अन्य निर्बन्धन तथा शर्तें विहित करना,
6. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपनी क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट उद्योग, वाणिज्य और रोजगार विभाग को भेजना,
7. मेला प्राधिकरण की राषियों को वसूल करना,
8- चल व अचल संपत्ति का प्रबन्ध व संचालन करना
9- मेला के सुचारू संचालन के लिये आवष्यक निर्माण, आयोजन में सुविधाऐं जुटाने के लिये निविदाओं आदि के माध्यम से विभिन्न व्यवस्थाओं को ठेके पर कराना,
10. मेला अवधि के बाहर उद्यानों, पषु परिसर आदि को ठेके पर देना, आदि आदि

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :–

ग्वालियर व्यापार मेला का मुख्य कृत्य पषु प्रदर्षनी व किसान मेला और व्यापार मेला का आयोजन।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को दुकान व मैदानों का निर्धारित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञापत्र जारी करना। शहरी व ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल–कूद, आतिषवाजी आदि प्रतियोगिताऐं आयोजित करना। मेला अवधि के बाहर पषु परिसर में पषु मण्डी का संचालन कराना।

मेला अवधि में मेला सैलानियों को सषुल्क पार्किंग सुविधा दी जाती है।

2॰7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (षासन, निदेषालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो) :–

मेला कार्यालय का प्रषासकीय विभाग उद्योग, वाणिज्य एवं रोजगार विभाग म0प्र0 है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अपने आप में एक निकाय है। इसके अधीन कोई निकाय/ संस्थान/कार्यालय नहीं है।

2॰8 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें–

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की समग्र कार्य दक्षता व सफलता पूर्णतः जन सहयोग व शासन के सहायोग पर अधिकांषतः निर्भर है।

2॰9 जन सहयोग सुनिष्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था :–

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का आवष्यकतानुसार परस्पर सम्पर्क व पहल ही इसका माध्यम है।

2.10 जन सेवाओं के अनुषरण एवं षिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

ग्वालियर व्यापार मेला आमजन, शासन व विभागीय व प्रषासकीय अधिकारियों से प्राप्त षिकायतों में वांछित व यथोचित कार्यवाही करता है।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालय के पते (पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें) :–

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का कार्यालय मेला परिसर रेस कोर्स रोड पर ही स्थित है। अन्य स्तरों के उसके कोई कार्यालय नहीं हैं।

2.12 कार्यालयीन समय–

कार्यालय खुलने का समय –––– प्रातः 10.30 बजे
कार्यालय बंद होने का समय – सांय 5.30 बजे (मेलावधि

Xokfy;j O;kikj esyk izkf/kdj.k dk xBu

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण 1996 के अधीन प्राधिकरण का गठन और वर्ष 2005–06 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट पदधारी निम्नानुसार है :–

1.	अध्यक्ष –– श्री अनुराग बंसल		
2.	उपाध्यक्ष –– श्री वेद प्रकाष षिवहरे		
2.क–	संभागीय आयुक्त ग्वालियर संभाग	–	डा0 कोमल सिंह
3.	सदस्य (वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधि)	–	श्री हासानन्द आहूजा
4.	सदस्य (कला एवं संस्कृति क्षेत्र के प्रतिनिधि)	–	श्रीमती संध्या भिंडिया
5.	सदस्य (उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि)	–	श्री पारस जैन
6.	सदस्य (क्षेत्रीय सांसद)	–	श्रीमंत यषोधरा राजे सिंधिया
7.	सदस्य (क्षेत्रीय विधायक)	–	श्री नरेन्द्रसिंह तौमर
8.	सदस्य (महापौर नगर पालिक निगम ग्वालियर)	–	श्री विवेक शेजवलकर

9. सदस्य (जिला पंचायत ग्वालियर का अध्यक्ष) – श्रीमती धन्नोबाई
10. सदस्य (भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि)
11. सदस्य (कलेक्टर) – श्री राकेष श्रीवास्तव
12. सदस्य (आंचलिक जोनल उद्योग अधिकारी)
13. सदस्य / सचिव – श्री अरूण श्रीवास्तव
14. सदस्य (विभिन्न क्षेत्रों के तीन सामाजिक कार्यकर्ता) – श्री हरिमोहन पुरोहित
 – श्री कल्याणसिंह यादव
 – श्री षिवेन्द्र राठौर
15. सदस्य (पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज) – श्री देवेन्द्र सिंह सेंगर

अषासकीय सदस्यों का कार्यकाल :– पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष

स्थापना –

1. सर्व श्री (1) आर. के. जैन, (2)अनिल राठौर और (3) प्रहलाद जामले, तीनों सहायक वर्ग–3 (तृतीय श्रेणी कर्मचारी) स्थाई पदस्थापना में हैं।
2- चतुर्थ श्रेणी स्थाई स्थापना में भृत्य 2, चौकीदार 4, माली / बागवान 8 और सफाई कर्मचारीं 1 हैं।

v/;k;&3
¼eSU;qvy&2½

3.1 **प्राधिकरण,अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :–**

1. प्राधिकरण का प्रमुख उसका अध्यक्ष है। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्ययधीन रहते हुए अध्यक्ष अपने कर्तब्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तब्य पालन करते हैं। सचिव शासकीय प्रतिनिधि हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भूमिका निभाते हैं और आयोजन के प्रत्येक स्तर से लेकर कार्यालयीन नियंत्रण तक के लिये उत्तरदायी हैं।

. कर्मचारीगण उनको दिये गये कार्यों का लिपिकीय कार्य संपादित करते हैं।

3.2 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों, एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनिमय, अनुदेष, निर्देषिका और

अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराये (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें) :–

ग्वालियर मेला प्राधिकरण अधिनियम 1996 का अनुषरण किया जाता है।

v/;k;&4

¼eSUqvy&3½

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम–विनियम अनुदेष निर्देषिका और अभिलेख

कार्यों के निर्वहन हेतु मानदण्ड

यहां का काम सीमित है जो कर्मचारियों में विभाजित है। उस अनुसार कर्मचारीगण अपने काम को अंजाम देते हैं।

विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों, विनियम, मैन्युअल, अभिलेख–

शासकीय कर्मचारियों के लिये लागू नियमों आदि को अधिकांषतः अपनाया जाता है।

विषेषः–

प्रति–नियुक्ति पर पदस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिये समस्त नियम उनके पैतृक विभाग के लागू होते हैं।

सचिव जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रथम श्रेणी राज पत्रित अधिकारी हैं और प्राधिकरण में प्रति–नियुक्ति पर हैं, मेला में नियुक्त स्टॉफ के अवकाष स्वीकृति के लिये सक्षम हैं और मेला के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत हैं।

सेवा से निवृत्ति अधिवार्षिकीय आयु, राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित आयु ही मान्य है।

v/;k;&5

¼eSUqvy&4½

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्ष के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण नीति निर्धारण हेतु :–

5.1 **क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन–प्रतिनिधि की परामर्ष/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें –**

नीति का निर्धारण प्राधिकरण अपनी बैठक में करता है। आवष्यकतानुसार प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा समय समय पर जन प्रतिनिधियों या जनता के सदस्यों से भी निर्धारित विषय पर परामर्ष किया जाता है और उस पर बैठक में विचार किया जाता है।

5ण्2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्ष/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें –

जन सहयोग से, आवष्यकतानुसार, निर्धारित नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

v/;k;&6
¼eSU;qvy&5½

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण –

6.1 **लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयाग करें। साथ ही यह भी बतायें कि यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेषालय स्तर पर, अन्य। (कृपया 'अन्य' का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)–**

विभाग द्वारा धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

विभाग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में जो दस्तावेज बनाये जाते हैं उन दस्तावेजों के वर्गीकरण के प्रावधान का मैन्युअल नहीं है। अतः धारित दस्तावेजों की विषयवार नस्तियां रखीं जातीं हैं। ये सभी संबंधित कर्मचारियों के अधिकार में किन्तु सचिव के नियंत्रण में उपलब्ध रहते हैं।

v/;k;&7
¼eSU;qvy&6½

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7ण्1 लोक प्राधिकरण से सम्बन्ध बोर्ड, परिषदों, समितिओं एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण

कार्य संपादन में सहयोग के लिये –

1. मेला संचालन के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अषासकीय सदस्य निम्नानुसार प्रभारी हैं :–
    1. श्री पारस जैन, –– बाजार
    2. डा0 हरिमोहन पुरोहित – सांस्कृतिक कार्यक्रम
    3. श्री हासानंद आहूजा –– विद्युत

4. श्री कल्याणसिंह यादव – दंगल
5. श्री षिवेन्द्रसिंह राठौर –– प्रचार–प्रसार
6. श्रीमती संख्या भिंडिया –– जन सुविधा

3. राज्य शासन की विभागीय संपरीक्षा आवासीय ऑडिट पार्टी पदस्थ है।

v/;k;&8
¼eSUgvy&7½

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विषिष्टियां

8.1 **कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथॉरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप पर सूचना प्राप्त करें :–**

सहायक लोक सूचना अधिकारी				
नाम	**पदनाम**	**दूरभाष**	**फैक्स**	**पता**
श्री अनिल राठौर	सहायक वर्ग–3	0751-2365468	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेसकोर्स रोड़, ग्वालियर
लोक सूचना अधिकारी				
श्री अरूण श्रीवास्तव	मेला सचिव	0751-2365468	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेसकोर्स रोड़, ग्वालियर
प्रथम अपीलीय अधिकारी				
श्री अनुराग बंसल	अध्यक्ष, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण	0751-5040276	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेसकोर्स रोड़, ग्वालियर

v/;k;&9
¼eSUgvy&8½

निर्णय लेने की प्रकिया

9.1 **किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रकिया अपनाई जाती है? (सचिवालय मैन्युअल और बिजिनेस मैन्युअल के नियमों, आदि का उपयोग किया जा सकता है)।**

निर्णय प्रकिया – प्राधिकरण की संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय लिये जाते हैं। स्वीकृति देने के लिये अध्यक्ष सक्षम हैं।
निगरानी – क्रियान्वयन के लिये सचिव स्तर से कार्यवाही होती है।
जवाबदेही – संबंधित कर्मचारी/मेला सचिव

लिये निर्णय को प्रेस मीडिया
जनता तक पहुंचाने
के लिये क्या व्यवस्था है?

v/;k;&10
¼eSUqvy&9½

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देषिका

10ण्1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप पर पदवार दें–

कमांक	नाम	पदनाम	दूरभाष	फैक्स	पता
1	श्री अरूण श्रीवास्तव	मेला सचिव	0751-2365468	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर

कमांक	नाम	पदनाम	दूरभाष	फैक्स	पता
1	श्री आर.के. जैन	सहायक वर्ग–3	0751-2365468	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर
2	श्री अनिल राठौर	सहायक वर्ग–3	0751-2365468	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर
3	श्री प्रहलाद जामले	सहायक वर्ग–3	0751-2365468	0751-2460551	मेला कार्यालय, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर

1	श्री लक्ष्मण	भृत्य
2	श्री सुरेन्द्र सिंह	भृत्य
3	श्री शिवचरन	चौकीदार
4	श्री रामकिशोर शर्मा	चौकीदार
5	श्री सुलतान सिंह	चौकीदार
6	श्री रामाधार	चौकीदार
7	श्रीमती सुशीला बाई	सफाई
8	श्री लाल सिंह	बागवान
9	श्री शिवराम बाथम	बागवान
10	श्री रमेश	बागवान
11	श्री प्रहलाद सिंह परमार	बागवान
12	श्री प्रभु	बागवान
13	श्री हुकुमसिंह	बागवान
14	श्री ग्यासीराम	बागवान
15	श्रीमती कमलाबाई	सहा. बागवान

नोट :–

1. आवश्यकतानुसार कलैक्टर रेट पर दैनिक वेतन भोगी तृतीर्य और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी रखे जाते हैं। वे इसमें शामिल नही है।

2. इसी प्रकार सुरक्षा गार्ड भी आवष्यकतानुसार ठेकेदार बेसिस पर रखे जाते हैं। जो भी इसमें शामिल नहीं हैं।

v/;k;&11
¼eSuqvy&10½

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11ण1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे।

11ण्2

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	राशि
1	श्री अरूण श्रीवास्तव	मेला सचिव	24297

अनुक्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	राशि
1	श्री आर.के. जैन	सहायक वर्ग–3	6859
2	श्री अनिल कुमार राठौर	सहायक वर्ग–3	6204
3	श्री प्रहलाद जामले	सहायक वर्ग–3	6329

1	श्री लक्ष्मण	भृत्य	5067
2	श्री सुरेन्द्र सिंह	भृत्य	4727
3	श्री शिवचरन	चौकीदार	5114
4	श्री रामकिशोर शर्मा	चौकीदार	4667
5	श्री सुलतान सिंह	चौकीदार	4594
6	श्री रामाधार	चौकीदार	4794
7	श्रीमती सुशीला बाई	सफाई कर्मचारी	4844
8	श्री लाल सिंह	बागवान	5158
9	श्री शिवराम बाथम	बागवान	4407
10	श्री रमेश	बागवान	4738
11	श्री प्रहलाद सिंह परमार	बागवान	4736
12	श्री प्रभु	बागवान	4958
13	श्री हुकुमसिंह	बागवान	2158
14	श्री ग्यासीराम	बागवान	4798
15	श्रीमती कमलाबाई	सहा. बागवान	4645

ⴰesU;wvy&11⁄

प्रत्येक अधिकरण को आवंटित बजट सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना

12.1 **निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरण के लिए**

विषेषतः लागू नही ।

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए

प्राधिकरण को कहीं से कोई बजट आवंटन प्राप्त नही होता है। प्राधिकरण अपनी निधि से ही प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार, प्रस्तावित आय–व्यय के आधार पर बैठक में बजट तय करता है।

v/;k;&13

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति विभाग के कार्यक्रमों में अनुदान की व्यवस्था व विवरण

13ण्1 अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयक की रीति

शासन द्वारा अनुदान व सहायता राशि जिन विशेष कार्यों के लिए दी जाती है उनका उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हीं कार्यों में किया जाता है।

v/;k;&14

ⴰesU;wvy&13⁄

रियायतो, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं के संबंध में विवरण

14ण्1 कार्यालय द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों, मार्जन मनी, अनुदानों की जानकारी।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा रियायत, विज्ञापन, मेला हित में आवष्यकतानुसार दिये जाते हैं। जो नियमित व स्थाई नहीं हैं।

मेला में भागीदार/आवेदकों को मेला अवधि में दुकान/मैदान/खुली भूमि का आबंटन निर्धारित राषि लेकर दिया जाता है।

v/;k;&15

ⴰesU;wvy&14⁄

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

15ण्1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न कियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करावें।

सामान्य एवं विशेष कुछ नही

v/;k;&16

¼esSUqvy&16&,½

16ण्1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में हों।

इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं
विभाग द्वारा धारित इलेक्ट्रोनिक फार्म में सूचना की जानकारी

विभाग की समस्त जानकारी निम्नलिखित वेव साइट पर उपलब्ध है।
शून्य

v/;k;&17

¼esSU;wy&16½

17ण्1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण :–

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सुविधाएं
आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी नियमों के अधीन उपलब्ध कराई जाती है।

v/;k;&18

¼esSU;wy&17½

18ण्1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

अन्य उपयोगी जानकारियां

विभाग द्वारा अपने कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करनें व पारदर्शिता बनाये रखने के लिए समय–समय पर प्रयास किये जाते हैं। सूचना के अधिकारी, अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को सूचना प्रदान करने हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं।

1. लोक सूचना व सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति।
2. अपीलेट अधिकारी की नियुक्ति।
3. अधिनियम की धार (4) के अंतर्गत सूचनाओं का प्रकाशन।

18ण्2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में :–

सूचना अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदाय किया जाना।

अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना देने के लिए जो सूचना/जानकारी अधिनियम के अंतर्गत होगी, उसके लिए निम्नानुसार आवेदन/फीस निर्धारित है। जो शासन द्वारा आदेशित है।

धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, 10 रूपये की आवेदन फीस के साथ होगा। जो समुचित रसीद के विरूद्ध नगद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी। जो लोग प्राधिकरी के किसी लेखाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी –

1. तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक (ए–4 या ए–3 आकार) कागज के लिए दो रूपये।
2. बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत।
3. नमूनों या मोडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत और
4- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे के लिए रू0 50/– और उसके पश्चात प्रतयेक 15 मिनट (या उसके भाग) के लिए 25/– रूपये की फीस।

धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर जो समुचित रसीद के विरूद्ध नगद के रूप में या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :–

1. डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी– पचास रूपये और
2. मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए 2 रूपया।

18ण्3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में :–

निरंक

18ण्4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मेन्यूअल 13 में ना सम्मिलित हो।

मेला के दौरान उत्कृष्ठ प्रदर्शन, विजेता प्रतियोगी आदि को प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र या नगद राशि प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार दी जाती है।

18ण्5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में।

निरंक

18ण्6 लोक प्राधिकरण के द्वारा टेक्स आदि लेने के संबंध में।

टेक्स लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

18ण्7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली, पानी के कनेक्शन को अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में।

मेला अवधि में दुकानदारों को बिजली पानी आदि की सुविधायें दी जाती हैं। विद्युत प्रदाय के लिए खपत पर उनसे निर्धारित राशि वसूल की जाती है।

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरणः–

मेला में पधारने वाले विकलांग दर्शकों अथवा छोटे बच्चों के लिए चेयर कार, निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है।

v/;k;&19

19ण्1 प्राधिकरण की निधि :–

आयः– मेला अवधि में दुकानों/खुले मैदानों को व्यौपारियों को आबंटन से, उद्य ानों, पषु मण्डी के ठेकेां आदि से, उद्यानों को विवाह आदि समारोहों से, फैसिलिटेषन सेन्टर आदि से प्राप्त किराया, सनसिटी से प्राप्त लीज रेंट, शासकीय और सांसद/विधायक निधि से प्राप्त अनुदान या आर्थिक सहायता मेला प्राधिकरण की आय है।

प्राधिकरण को उक्त रूप से प्राप्त समस्त धन या उसको प्रोद्भूत हुई आय ''ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निधि''' है।

19ण्2 इस निधि का उपयोग व्यापार मेला के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा।

19ण्3 यह निधि ग्वालियर में बैंक में जमा है।

19.4 बैंक खाते को ऑपरेट करने व संवितरण और आहरण करने के लिए प्राधिकार के सचिव अध्यक्ष के आदेष के अध्यधीन अधिकृत है।

19.5 संबंधित समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गये हैं।

19.6 प्राधिकरण के आय–व्यय की संपरीक्षा आवासीय ऑडिट पार्टी द्वारा की जाती है व देय भुगतान का पूर्व अनुमोदन कराया जाता है।

19ण7 पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के क्रियाकलापों का विवरण उद्योग, वाणिज्य और रोजगार विभाग को भेजा जाता है।

lfpo]
Xokfy;j O;kikj esyk izkf/kdj.k

Xokfy;j O;kikj esyk izkf/kdj.k] Xokfy;j

Jhear ek/kojko flaf/k;k O;kikj esyk

क्रमांक ग्वाव्यामेप्रा / 2007 / 1845 दिनांक 18 दिसम्बर, 2007

प्रति–

जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0)
कार्यालय कलेक्टोरेट,
ग्वालियर

विषयः– **सूचना का अधिकार 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय की 17 बिन्दुओं की जानकारी का अद्यतन मैन्युअल तैयार करने बाबत।**

———————

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर कलेक्टर ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यु/एस0सी0–2/14–15/115/2006/15458 दिनांक 28 सितम्बर, 2007, जो आपको पृष्ठांकित है, का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकारण का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी का मैन्युअल आपको उपलब्ध कराने को निर्देषित किया गया है।

तदनुसार वांछित मैन्युअल की हार्ड कॉपी और सी0डी0 संलग्न है।

सचिव
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण
ग्वालियर

—————

क्रमांक ग्वाव्यामेप्रा/2007/1846 दिनांक 18 दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1- अपर कलेक्टर, ग्वालियर की ओर उनके उक्त संदर्भित पत्र और स्मरण पत्र क्रमांक 18376 दिनांक 12.11.07 के संदर्भ में,

सचिव
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण